


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज रूघाराम चौधरी बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) सू.अ.अपील संख्या 222/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/09/23	<p>अपीलार्थी रूघाराम चौधरी पुत्र नारायणरामनिवासी 1-अ, नारायण निवास, खंगार नगर, खेमा का कुंआ, पाल रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28/06/23 में (1) सहायक जिलाधीश बालेसर के गठन होने पर सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़ से प्राप्त राजस्व प्रकरणों की सूची (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   (हिमान्यु गुप्ता)  जिला कलेक्टर, जोधपुर  <b>जिला कलेक्टर, जोधपुर</b> </p>	